

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2743
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों का विनियमन

2743 श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के कामकाज तथा विनियमन की समीक्षा की है;
- (ख) क्या एकसमान मानकों के अभाव ने विद्यार्थी कल्याण, पारदर्शिता तथा शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है;
- (ग) कोचिंग केंद्रों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक, सुरक्षा तथा परामर्श मानक स्थापित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और
- (घ) क्या सरकार कोचिंग संस्थानों हेतु एक राष्ट्रीय नियामक ढांचा विकसित करने का विचार रखती है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): अनियमित निजी कोचिंग सेंटरों की संख्या में वृद्धि, छात्रों से अत्यधिक शुल्क लेने वाले ऐसे केंद्रों के उदाहरण, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन की हानि, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व और इन केंद्रों द्वारा अपनाई जा रही कई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश प्रसारित किए हैं। कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं <https://www.dohe-education.gov.in/documents/acts-and-policies/guidelines-for-regulation-of-coaching-center-ADNyEDOtQWa?pageTitle=Guidelines-for-Regulation-of-Coaching-Center>

दिशा-निर्देशों में पंजीकरण के लिए शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट करने, शुल्क से संबंधित मामलों, कोचिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अवसंरचना और सुरक्षा संबंधी पूर्व-आवश्यकताओं को

रेखांकित करने, कोचिंग केन्द्रों के भीतर परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों के सहयोग को प्राथमिकता देने, बैच पृथक्करण नहीं करने, रिकॉर्ड के रखरखाव, शिकायत/शिकायत निवारण तंत्र, आचार संहिता स्थापित करने, मानसिक कल्याण के महत्व पर बल देने, आदि जैसे कई प्रमुख पहलू शामिल हैं। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कोचिंग सेंटर के लिए शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रमों/पाठ्यक्रम का विवरण और अवधि, लिए जा रहे शुल्क, आसान निकास नीति, शुल्क वापसी नीति, केंद्र से कोचिंग लेने वाले छात्रों की संख्या और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में अंततः सफल होने वाले छात्रों की संख्या आदि के अद्यतित विवरण के साथ एक वेबसाइट का प्रावधान है।

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए समन्वय में कार्य करते हैं। कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में निजी कोचिंग और ट्यूशन कक्षाओं को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश/विनियम/कानून बनाए हैं।
